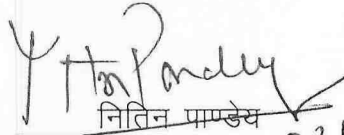


जनपद न्यायालय, वाराणसी।

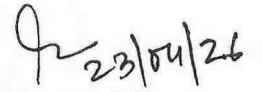
निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण/फर्मों को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर के भवनों में स्थापित 218 अदद एयर कंडीशनर की सर्विसिंग, मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण हेतु मुहर बंद निविदाएं दिनांक 02.05.2026 को समय सायं 4:00 बजे दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नियमों एवं शर्तों की जानकारी जनपद न्यायालय, वाराणसी के नज्दत कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत विवरण हेतु नोटिस बोर्ड एवं न्यायालय के वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं।


नितिन पाण्डेय

अध्यक्ष, अवस्थापना उपसमिति
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधि०, वाराणसी


23/04/26

सर्वजीत कुमार सिंह
अध्यक्ष-कय विकय समिति,
जनपद न्यायालय, वाराणसी

प्रकाशित
प्राप्त दिनांक

जनपद न्यायालय, वाराणसी

निविदा के नियम व शर्तें

सर्व साधारण/अधिकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी परिसर के भवनों में स्थापित 218 अदद एयर कंडीशनर की आवश्यक सर्विसिंग, मरम्मत एवं वार्षिक अनुरक्षण हेतु मुहर बंद निविदाएं उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 02.05.2026 नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को ही दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय सायं 04:00 से निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। इस निविदा की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1- निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/फर्म उपरोक्त एयर कंडीशनरों के वार्षिक मरम्मत/अनुरक्षण कार्य हेतु अपनी प्रस्तावित दर की मुहर बंद निविदा नजारत कार्यालय में दिनांक 01.05.2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। निविदायें दिनांक **02.05.2026** को समय 04:00 बजे से दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा खोली जायेंगी।

2- निविदा प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को मुहर बंद निविदा के साथ अपना पिछले 03 वर्षों का शासकीय/अशासकीय कार्यानुभव प्रमाण पत्र, फर्म का पंजीकरण प्रपत्र, व अन्य आवश्यक सभी प्रपत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा निविदा खोले जाने के समय समिति के समक्ष संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति/फर्म को प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

4- किसी भी उच्चतम अथवा न्यूनतम निविदा स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में किसी भी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

6- उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में स्वीकृत न्यूनतम धनराशि के आवंटन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को पत्र प्रेषित किया जायेगा। आवंटन प्राप्त होने पर ही तत्सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

(मनीष कुमार-11)
सदस्य, कय-विकय समिति
मुख्य न्यायिक मजि0,
वाराणसी

(*अवकाश*)

23/04/26
(तूलिका बन्धु)
सदस्य, कय-विकय समिति
लघुवाद न्यायाधीश,
वाराणसी

(यजुर्वेन्द विक्रम सिंह)
सदस्य, कय-विकय समिति
अपर जिला जज कक्ष सं0-05
वाराणसी

23/04/26
(सर्वजीत कुमार सिंह)
अध्यक्ष, कय-विकय समिति
अपर जिला जज कक्ष सं0-04
वाराणसी

Permit
23/4/26